न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 27 / 2020

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 मोटाराम पुत्र धन्नाराम जाति गुर्जर निवासी रायरा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. रतनाराम पुत्र पन्नाराम 2. कानाराम पुत्र पन्नाराम 3. लाबुराम पुत्र मोतीराम 4. मोटाराम पुत्र पेमाराम 5. सीतरराम पुत्र तेजाराम जातिगण गुर्जर निवासीगण रायरा कलां तहसील सोजत 6. जिला पाली। तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री पवन दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री दिव्यानंद शर्मा एवं कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 09.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा रायरा कलां खुर्द पटवार हल्का खोडिया भू.अ.नि. गुड़ा बींजा तहसील सोजत के ख0नं0 459 रकबा 0.6500 हैक्टर, ख0नं0 470 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त आराजीयान की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा एनेक्चर ए पेश किया जा रहा है, जो वाद पत्र का अभिन्न पढ़ा व समझा जावे, जिस नक्शा में लाल स्याही से अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को दर्शित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त खातेदारी भूमि का एकमात्र मालिक की हैसियत निर्बाध रूप ये उपयोग उपभोग करता आया है, जिसमें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति की कोई बाधा, अड़चन इत्यादि नहीं रही है। प्रार्थी उम्रदराज होने के कारण कमजोर है, जो अक्सर बीमार रहता है व घर पर ही आराम करता है तथा प्रार्थी के चार पुत्र बैगलोर रहते है तथा एक पुत्र रास में निवास करते है जो कि समय समय पर आकर उक्त कृषि भूमि की सार संभाल करते रहते है तथा प्रार्थी गांव में ही निवास करता है, जिसका आबादी में मकान स्थित है। अप्रार्थीगण तमाम के द्वारा प्रार्थी के पुत्रों के गांव से बाहर निवास करने के तथ्यों की निजी जानकारी होने व प्रार्थी के उम्र दराज, कमजोर होने के तथ्यों की जानकारी होने से अप्रार्थीगण तमाम ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से माह जनवरी 2020 में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू भाग पर अवैध रूप से प्रार्थी की तारबंदी को अवैध रूप से तोड़ कर उसमें कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड़ों को भी काटने

लग गये, जिसकी सूचना प्रार्थी को गांव के लोगो द्वारा सूचना देने पर प्राप्त हुई। जिस पर प्रार्थी ने मना किया परन्तु वे अप्रार्थीगण नहीं माने जिस पर प्रार्थी ने फोन से अपने पुत्रों को सूचना दी जिस पर प्रार्थी के पुत्र फरवरी 2020 में अपने गांव आये। जिस सम्बन्ध में प्रार्थी एवं उसके परिवारजन ने अप्रार्थीगण तमाम को ओलम्बा दिया तो उन्होने कहा कि हमारे द्वारा आपकी भूमि पर किये गये अवैध कब्जा को हम पुनः खाली कर देगे जिस पर प्रार्थी द्वारा तमाम अप्रार्थीगण पर विश्वास किया गया परन्तु अप्रार्थीगण की नियत बद हो चुकी थी तथा प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा की समस्त भूमि को लाठी लकड़ी के बल पर हड़प करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण तमाम द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसकी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि से हमेशा हमेशा के लिये बेदखल कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण तमाम प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को अपनी भूमि से बेदखल नहीं करे तथा अप्रार्थी वादस्थ भूमि के भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य कर परिवर्तन न तो स्वयं करे और न ही अन्य से करवाये इस हेतु अप्रार्थीगण को रोका जाकर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 5 व 6 तहसीलदार सोजत द्वारा प्रर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किये जाने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना आज बन्द किया गया।

बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण तमाम के द्वारा प्रार्थी के पुत्रों के गांव से बाहर निवास करने के तथ्यों की निजी जानकारी होने व प्रार्थी के उम्र दराज, कमजोर होने के तथ्यों की जानकारी होने से अप्रार्थीगण तमाम ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से माह जनवरी 2020 में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू भाग पर अवैध रूप से प्रार्थी की तारबंदी को अवैध रूप से तोड़ कर उसमें कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी द्वारा लगाये गये पेड़ों को भी काटने लग गये, जिसकी सूचना प्रार्थी को गांव के लोगो द्वारा सूचना देने पर प्राप्त हुई। अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर उतारू है। जिन्है जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में अप्रार्थीगण को तंग परेशान हेतु पेश किया है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, न ही अतिक्रमण बाबत प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है, जबकि अप्रार्थीगण ग्राम पंयाचत के आबादी भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से काबिज है जिस पर प्रार्थी अप्रार्थीगण की आबादी भूमि पर कब्जा करना चाहता है, अप्रार्थीगण अपनी आबादी भूमि पर काबिज के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज

प्रस्तुत करना चाहता है, साथ ही प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि का सीमा संबंधी विवाद है। जिसे मूल वाद में जबाब दावा रेकर्ड पर लिया जाकर तनकी कायम कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रार्थीत भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत